

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)
बईजलास सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

- 1- मु. कोयली पुत्री नन्दा भील निवासी अरनिया रासा हाल ढण्ड का खेड़ा तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
- 2- मु. केसी पुत्री नन्दा भील निवासी अरनिया रासा हाल शंभुपुरा (अरनिया रासा) तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- वादीगण

बनाम

- 1- भैरूलाल पिता छोटू भील निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- मु. दुर्गा पिता छोटू भील नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक भाई भैरूलाल पिता छोटू भील निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- मु. कमला बेवा छोटू भील निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- रतन पिता भूरा भील निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- हीरा पिता रामनाथ मीणा निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 6- मु. बालीदेवी पत्नी कैलाश मीणा निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 7- प्रहलाद पिता रामस्वरूप मीणा निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 8- शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 9- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र : बाबत खातेदारी घोषणा बंटवाड़ा आराजियात व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 21/2017 राजस्व वाद

वह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व
.....X मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादी अदम हाजरी अदम पैरवी अदम तकमील में खारीज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सुलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 01 माह 12 सन् 2025 को जारी की गई।



(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा